राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्रीमती शीला अलावा उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त महेश की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि, विचाराधीन प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है। आदेश पत्रिका अवलोकन से अभियुक्त आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में नियत पेशी दिनांक 23.07.2021, 16.07.2021, 07.11.2021, 25.02.2022, 06.06.2022, 16.11.2022, 13.01.2023, 21.06.2023, 09.11.2023, 24.01.2024 को जारी किये गए अदम तामील वापस प्राप्त हुये हैं। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आये उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त की भविष्य में शीघ्र मिलने की संभावना प्रकट नहीं होती है। अतः धारा–299 दं.प्र.सं. के उपबंधों के आलोक में अभियुक्त <u>महेश पिता तुंवरसिंह मंडलोई उम्र–22 वर्ष, निवासी ग्राम घाणी, थाना डही, जिला धार म.प्र.</u> को फरार घोषित किया जाता है। अतः अभियुक्त का स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। चूंकि अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में फरार घोषित किया गया है। <u>अतः प्रकरण के मूल पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण में आरोपी फरार है प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।</u>

प्रवर्तन लिपिक संबंधित थाने से आरोपी का स्थायी गिरफ्तारी वारंट की आमद नंबर लेकर अंकित करें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समावधि में प्रकरण को अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

–सही/–

(श्रीमती सीता कन्नोजे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी

जिला बड़वानी म0प्र0